न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
53 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	20.07.2022	30.09.2022

डॉ. मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री नवरतन साहू पुत्र श्री बिरधी चन्द साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स महेश किराणा स्टोर कल्याणपुरा चौराहा बावडी तह. टोडारायसिंह जिला टोंक निवासी कल्याणपुरा चौराहा बावडी तह. टोडारायसिंह जिला टोंक राज.
2—श्री प्रदीप पारीक पुत्र श्री अरूण प्रकाश पारीक प्रोपरायटर मैसर्स एस.पी.एम.आई. मसाला एल.एल.पी. कायस्थ मोहल्ला पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर निवासी 197, मित्र निवास मझेला रोड मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार उप.।
2—अप्रार्थीगण उप.।

:—निर्णय—: **दिनांक 30.09.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.03.2022 को समय 01:19 पीएम पर मैसर्स महेश किराणा स्टोर कल्याणपुरा चौराहा बावडी तह. टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री नवरतन साहू पुत्र श्री बिरधी चन्द साहू मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नवरतन साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान की रैक में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **धनिया पावडर एस.पी.एम.आई. ब्राण्ड (Coriander Powder SPMI Brand)** 500—500 ग्राम के 15 नग पॉली पैक रखे हुए थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री नवरतन साहू को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री नवरतन साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **धनिया पावडर एस.पी.एम.आई. ब्राण्ड (Coriander Powder SPMI Brand)** जिसके बैच नम्बर एच—18 एवं पैंकिंग की दिनांक नवम्बर 2021 थी, वास्ते मानक स्तर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के 4 नग पॉली पैक कुल 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **धनिया पावडर एस.पी.एम.आई. ब्राण्ड (Coriander Powder SPMI Brand)** के 500–500 ग्राम के 1–1 नग के नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3167 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3167 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री नवरतन साहू पुत्र श्री बिरधी चन्द साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स महेश किराणा स्टोर कल्याणपुरा चौराहा बावडी तह. टोडारायसिंह जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स एस. पी.एम.आई. मसाला एल.एल.पी. कायस्थ मोहल्ला पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। वारंटी व निर्माता होने के कारण मैसर्स एस.पी.एम.आई. मसाला एल.एल.पी. कायस्थ मोहल्ला पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर को फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी फर्म के दस्तावेज खाद्य अनुज्ञा पत्र व प्रोपरायटर के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/1048 दिनांक 12.05.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./1647/एक्ट/2022/1642 दिनांक 28.04.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **धनिया पावडर एस.पी.एम.आई. ब्राण्ड (Coriander Powder SPMI Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए एवं अपनी बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **धनिया पावडर एस.पी.एम.आई. ब्राण्ड (Coriander Powder SPMI Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **धनिया पावडर एस.पी.एम.आई. ब्राण्ड (Coriander Powder SPMI Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 पर शास्ति रूपये 40,000/– (अक्षरे चालीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 2 पर शास्ति रूपये 2,00,000/– (दो लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 30.09.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0